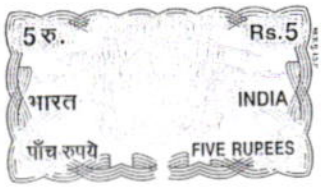

114

न्यायालय : राजस्व मंडल, ग्वालियर

प्रकरण क्रं.   /2016 पुनरावलोकन

निग-1512-I-16

दिनांक 16.5.16 को श्री प्रदीप के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत।
16.5.16

Pradeep K. Shrivastava
16.5.16

(1) जगना पुत्र स्व श्री जलमा अहिरवार आयु 30 वर्ष,

(2) श्रीमती दुर्जी बेवा स्व श्री गुमना अहिरवार आयु 45 वर्ष,

(3) प्रेम चन्द पुत्र स्व श्री गुमना अहिरवार आयु 25 वर्ष

(4) लखन पुत्र स्व श्री गुमना अहिरवार आयु 22 वर्ष

(5) राम औतार पुत्र स्व श्री गुमना अहिरवार आयु 19 वर्ष

समस्त निवासीगण– ग्राम हरव्दार तहसील लवकुश नगर, जिला–छतरपुर म.प्र.

– **आवेदकगण**

<u>विरूद्ध</u>

(1) मुस0 पिरैया बेवा स्व श्री गुमना रतना अहिरवार आयु 45 वर्ष,

निवासी–ग्राम हरव्दार तहसील लवकुश नगर, जिला–छतरपुर म.प्र.

–**अनावेदिका**

116
1444

[पीछे देखिये

पुनरावलोकन अर्न्तगत धारा 51 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.04.2016 द्वारा पारित माननीय श्री आशीष श्रीवास्तव सदस्य राजस्व मण्डल प्रकरण कमांक 3852/एक/2014 निगरानी

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 1512-एक/2016 निगरानी जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभा''ाकों अ के हस्ताक्षर
5-8-16	यह पुनरावलोकन आवेदन तत्का0सदस्य राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 3852-एक/2014 में पारित आदेश दिनांक 5-4-2016 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ पुनरावलोकन प्रकरण की कायमी पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रकरण कमांक 3852-एक/2014 में पारित आदेश दिनांक 5-4-2016 का अवलोकन किया गया। 3/ प्रकरण कमांक 3852-एक/2014 में पारित आदेश दिनांक 5-4-2016 के अवलोकन से एंव आवेदक के अभिभाषक के तर्को तथा पुनरावलोकन आवेदन के तथ्यों से परिलक्षित है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन हेतु निम्न आधार बताये गये है :- 1. किसी नई और महत्वपूर्ण विषय वस्तु या साक्ष्य की खोज होने से जो उचित परिश्रम करने केवाद भी उसकी जानकारी में नहीं थी जिस पर आदेश/डिकी पारित हुई, 2. किसी ऐसी भ्रॉति पूर्ण गल्ती Mistake या भूल error । रिकार्ड के देखते ही प्रत्यक्ष दिखाई देती हो, 3. किसी अन्य पर्याप्त कारण से - विचाराधीन पुनरावलोकन आवेदन में अथवा प्रारंभिक तर्को में आवेदक के अभिभाषक समाधान नहीं करा सके हैं कि उक्त में से किन पर्याप्त कारणों के आधार पर प्रकरण कमांक 3852-एक/2014 में पारित आदेश दिनांक 5-4-2016 का पुनरावलोकन करना लाजमी है। अत: पुनरावलोकन आवेदन सारहीन पाये जाने से इसी-स्तर पर अमान्य किया जाता है। सदस्य	